रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243663
CG-DL-E-16022023-243663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2023/माघ 27, 1944
No. 87] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023/MAGHA 27, 1944

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

**सा.का.नि. 105(अ).—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय (सिपाही), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2017 (सिपाही के 209 पदों की बाबत) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में ज्येष्ठ सिपाही के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, ज्येष्ठ सिपाही (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. -** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि..-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.- वह व्यक्ति –**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** -जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन केन्द्रीय नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ज्येष्ठ सिपाही | 209*(2023)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह –'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100). | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है, | भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति | **प्रतिनियुक्ति :**<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या मादक द्रव्य | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | नियंत्रण ब्यूरो या पुलिस या राज्य पुलिस या अर्ध सैनिक बलों के ऐसे कार्मिक जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 4 (रु. 25500-81100) में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हों।<br><br>**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के लिए स्वास्थ्य और उपयुक्तता निर्धारण के लिए मध्यावधि मूल्यांकन के अधीन रहते हुए साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी, और यदि कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के लिए, चाहे जो भी कारण हो, अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे बिना किसी सूचना के तुरंत मूल काडर में वापस भेज दिया जाएगा।<br><br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[फा. सं. ए-12018/2/2022- ए डी ई डी]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2023

**G.S.R. 105(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Directorate of Enforcement, (Sepoy) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017, (in respect of 209 posts of Sepoy) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Sepoy in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Senior Sepoy (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc..**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of posts | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Senior Sepoy | 209*(2023)<br><br>*subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100). | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | Not applicable | Deputation | **Deputation :**<br>Personnel from the Central Government or State Government or Central Board of Excise and Custom or Central Board of Direct Taxes or Narcotics Control Bureau or Police or State Police or Para military forces holding analogous post on regular basis in pay level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the parent cadre or department.<br><br>**Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation shall be for a maximum period of seven years subject to screening midway for assessing fitness and suitability for continuation on deputation and if a person is found unsuitable for continuation on deputation, for whatsoever reasons, he shall be reverted to parent cadre immediately without any notice. | Not applicable | Not applicable. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the date of appointment on deputation. | | |

[F. No. A-12018/2/2022-Ad.ED]

VIVEK MISHRA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

**सा.का.नि. 106(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय (सिपाही), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2017 (सिपाही के 70 पदों की बाबत) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में सिपाही के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनती हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सिपाही (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. -** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि..-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.- वह व्यक्ति –**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** -जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन केन्द्रीय नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सिपाही | 70*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह–'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 3 (21700-69100). | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है, | भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति | **प्रतिनियुक्ति :**<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो या पुलिस या राज्य पुलिस या अर्ध सैनिक बलों के ऐसे कार्मिक जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 3( रु. 21700-69100) में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हों।<br>**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के लिए स्वास्थ्य और उपयुक्तता निर्धारण के लिए मध्यावधि मूल्यांकन के अधीन रहते हुए साधारणतया सात वर्ष से अधिक नहीं होगी, और यदि कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के लिए, चाहे जो भी कारण हो, अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे बिना किसी सूचना के तुरंत मूल काडर में वापस भेज दिया जाएगा।<br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. ए-12018/2/2022- ए डी ई डी]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2023

**G.S.R. 106(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement, (Sepoy) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017, (in respect of 70 posts of Sepoy) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sepoy in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Sepoy, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc..**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post | Number of posts | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Sepoy | 70*(2023)<br><br>*subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) | Not applicable. | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | Not applicable. | Deputation. | **Deputation:**<br>Personnel from the Central Government or State Government or Central Board | Not applicable | Not applicable. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | of Excise and Custom or Central Board of Direct Taxes or Narcotics Control Bureau or Police or State Police or Para military forces holding analogous post on regular basis in pay level – 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) in the parent cadre or department.<br><br>**Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation shall be for a maximum period of seven years subject to screening midway for assessing fitness and suitability for continuation on deputation and if a person is found unsuitable for continuation on deputation, for whatsoever reasons, he shall be reverted to parent cadre immediately without any notice.<br><br>**Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the date of appointment on deputation. | | |

[F. No. A-12018/2/2022-Ad.ED]

VIVEK MISHRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA